



उत्तर प्रदेश सरकार

2022-2023 के लिये

अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें

(दिसम्बर, 2022)

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयीं)

उत्तर प्रदेश सरकार

2022-2023 के लिये

अनुपूरक अनुदानों

की

मांगें

(दिसम्बर, 2022)

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावनिक टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है । व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती । अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान-मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो । ऐसी मांग "प्रतीक मांग" कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है ।

2. वित्तीय वर्ष 2022-2023 की अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं । विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है । अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है । इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है । विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है ।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 3376954.67 लाख हैं, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 1375684.28 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 2001270.39 लाख है ।

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन माँगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

मार्गशीर्ष 13, शक संवत्, 1944
तदनुसार
05 दिसम्बर, 2022

प्रशान्त त्रिवेदी
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

**उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा 6(2) के अधीन अपेक्षित विवरण**

अधिनियम की धारा 6(2) में निम्नवत् व्यवस्था है -

"वित्त विभाग का प्रभारी मंत्री प्रत्येक अर्द्ध वर्ष पर बजट से सम्बन्धित प्राप्तियों और व्यय के रूख, बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले उपचारी उपायों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकनों के परिणाम को विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा। पुनर्विलोकन रिपोर्ट ऐसे प्रपत्र में होगी जैसा विहित किया जाय।"

महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय वर्ष 2022-2023 की प्रथम छमाही के आँकड़ों के आधार पर वर्ष 2022-2023 की प्रथम छमाही के लिये पुनर्विलोकन रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

वर्ष 2022-2023 की प्रथम छमाही हेतु पुनर्विलोकन रिपोर्ट -

(₹ करोड़ में)

मद	बजट अनुमान 2022-2023	महालेखाकार द्वारा पुस्तिकित आँकड़े 2022-2023 (30.09.2022 तक)	बजट अनुमानों के सापेक्ष प्रतिशत के रूप में
(1)	(2)	(3)	(4)
(अ) गैर उधार प्राप्तियाँ			
1 राज्य का स्वयं का कर	220655.00	83967.23	38.05
2 करेतर राजस्व	23406.48	5757.80	24.60
3 केन्द्रीय करों में राज्यांश	146498.76	67469.59	46.05
4 केन्द्र सरकार से अनुदान	108652.47	20265.78	18.65
कुल राजस्व प्राप्तियाँ (योग - 1, 2, 3 एवं 4)	499212.71	177460.40	35.55
5 उधार एवं अग्रिम की वसूली	2565.00	423.04	16.49
कुल गैर उधार प्राप्तियाँ (योग - 1, 2, 3, 4 एवं 5)	501777.71	177883.44	35.45
(ब) व्यय			
6 राजस्व व्यय	456089.06	169139.29	37.08
7 पूंजीगत परिव्यय	123919.85	22899.67	18.48
8 उधार एवं अग्रिम	2946.78	1334.83	45.30
कुल व्यय (ऋणों का प्रतिदान छोड़कर) (योग - 6, 7 एवं 8)	582955.69	193373.79	33.17
(स) राजस्व बचत	43123.65	8321.11	----
(द) राजकोषीय घाटा	81177.98	15490.35	----

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के सम्बर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी।

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 3376954.67 लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्राँश की धनराशि ₹ 288603.50 लाख को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि ₹ 3088351.17 लाख है। इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेतर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुप्रक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
002	आवास विभाग	मुख्य मंत्री			1
			पूँजी	400000.00	...
003	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	लघु उद्योग मंत्री			2
			पूँजी	30000.00	...
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	औद्योगिक विकास मंत्री	राजस्व	106990.69	...
			पूँजी	820000.00	...
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	राजस्व	525772.00	91.41
			पूँजी	65072.32	535.00
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	कृषि मंत्री	राजस्व	19027.00	...
012	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	जल शक्ति मंत्री	राजस्व	14.77	...
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	ग्राम्य विकास मंत्री	राजस्व	8472.91	...
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	मुख्य मंत्री			13
			पूँजी	1500.00	...
018	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	मुख्य मंत्री	राजस्व		193.30
022	खेल विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	3500.00	...
023	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	गन्ना एवं चीनी मंत्री	राजस्व	15500.00	...
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	गन्ना एवं चीनी मंत्री			18-19
			पूँजी	5000.00	...
026	गृह विभाग (पुलिस)	मुख्य मंत्री	राजस्व	20000.00	...
			पूँजी	45000.00	...

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुप्रक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹ लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री	राजस्व	23900.75	...	27-30
			पूँजी	750.00	...	
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री				31
			पूँजी	2000.00	...	
035	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	परिवार कल्याण मंत्री	राजस्व	169206.76	...	32-34
			पूँजी	98751.33	...	
037	नगर विकास विभाग	नगर विकास मंत्री	राजस्व	92400.00	...	35-38
			पूँजी	52155.00	...	
040	नियोजन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	1618.60	...	39-40
			पूँजी	30000.00	...	
042	न्याय विभाग	मुख्य मंत्री				41
			पूँजी	40000.00	...	
043	परिवहन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	10000.00	...	42-43
			पूँजी	20000.00	...	
044	पर्यटन विभाग	पर्यटन मंत्री				44
			पूँजी	2000.00	...	
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री	राजस्व	6493.56	...	45-46
			पूँजी	5833.00	...	
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सडकें)	लोक निर्माण मंत्री	राजस्व	50000.00	...	47-48
			पूँजी	183792.00	...	
060	वन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	10.08	...	49-51
			पूँजी	25650.92	...	

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री		धनराशि (₹ लाख में)		पृष्ठ संख्या
				मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6	
061	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	वित्त मंत्री	राजस्व	25136.00	...	52
069	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	19646.00	...	53-55
			पूँजी	7500.00	...	
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री	राजस्व	252.00	...	56-57
			पूँजी	908.47	...	
071	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	17741.70	...	58-59
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	5500.00	...	60
075	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	मुख्य मंत्री				61-62
			पूँजी	1023.80	...	
076	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री	राजस्व	3075.52	...	63-64
			पूँजी	17278.00	...	
077	श्रम विभाग (सेवायोजन)	श्रम एवं सेवायोजन मंत्री	राजस्व	30.43	...	65-66
			पूँजी	37.80	...	
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	15000.00	...	67
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तिकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	41626.66	...	68-70
			पूँजी	600.00	...	
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	मुख्य मंत्री	राजस्व	13903.28	...	71-74
			पूँजी	3612.24	...	
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	मुख्य मंत्री	राजस्व	99512.65	...	75-80
			पूँजी	137780.13	...	

वित्तीय वर्ष 2022-2023 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूर्क मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या
			मतदेय	भारित	
1	2	3	4	5	6
084	सामान्य प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री			81-82
			पूँजी	1610.00	...
086	सूचना विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	80420.56	83-84
				...	
092	संस्कृति विभाग	संस्कृति मंत्री	राजस्व	647.65	85-86
			पूँजी	500.00	...
093	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	जल शक्ति एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री			87-88
			पूँजी	2380.39	...
			योग : राजस्व	1375399.57	284.71
			पूँजी	2000735.40	535.00
			योग :	3376134.97	819.71
			कुल योग :	3376954.68	

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(क) राज्य के अंग		
2013 - मंत्रि परिषद्	78	15000.00
	योग : 2013	15000.00
	योग : (क)	15000.00
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा		
2049 - ब्याज अदायगियां	09	91.41
	18	193.30
	योग : 2049	284.71
	योग : (ग)	284.71
(घ) प्रशासनिक सेवायें		
2055 - पुलिस	26	19885.00
	योग : 2055	19885.00
	योग : (घ)	19885.00
	योग : क	35169.71
ख - सामाजिक सेवायें		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		
2202 - सामान्य शिक्षा	71	17741.70
	72	5500.00
	81	7756.49
	83	340.50
	योग : 2202	31338.69
2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें	22	3500.00
	योग : 2204	3500.00
2205 - कला एवं संस्कृति	92	647.65
	योग : 2205	647.65
	योग : (क)	35486.34
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	31	23900.75
	योग : 2210	23900.75

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
2211 - परिवार कल्याण	35	169206.76
	81	2304.79
	83	22448.15
	योग : 2211	193959.70
	योग : (ख)	217860.45
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		
2217 - शहरी विकास	37	92400.00
	61	25136.00
	योग : 2217	117536.00
	योग : (ग)	117536.00
(घ) सूचना तथा प्रसारण		
2220 - सूचना तथा प्रचार	86	80420.56
	योग : 2220	80420.56
	योग : (घ)	80420.56
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	79	7500.00
	योग : 2225	7500.00
	योग : (ङ)	7500.00
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण		
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास	69	19646.00
	76	3075.52
	77	30.43
	83	186.00
	योग : 2230	22937.95
	योग : (च)	22937.95
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	49	6493.56
	79	34126.66
	81	3842.00
	83	76538.00
	योग : 2235	121000.22

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	26	85.00
योग : 2245		85.00
योग : (छ)		121085.22
(ज) अन्य		
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवायें	26	30.00
योग : 2251		30.00
योग : (ज)		30.00
योग : ख		602856.52
ग - आर्थिक सेवायें		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप		
2401 - फसल कृषि कर्म	11	19027.00
योग : 2401		19027.00
2406 - वानिकी तथा वन्य जीव	60	10.08
योग : 2406		10.08
योग : (क)		19037.08
(ख) ग्राम विकास		
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	12	14.77
योग : 2515		14.77
योग : (ख)		14.77
(ङ) ऊर्जा		
2801 - बिजली	09	525772.00
योग : 2801		525772.00
2810 - अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	70	252.00
योग : 2810		252.00
योग : (ङ)		526024.00
(च) उद्योग तथा खनिज		
2852 - उद्योग	07	106990.69
योग : 2852		106990.69
योग : (च)		106990.69

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
(छ) परिवहन		
3054 - सड़क तथा सेतु		
	13	8472.91
	23	15500.00
	58	50000.00
योग : 3054		73972.91
3055 - सड़क परिवहन		
	43	10000.00
योग : 3055		10000.00
योग : (छ)		83972.91
(ज) सामान्य आर्थिक सेवायें		
3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें		
	40	183.00
योग : 3451		183.00
3454 - जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
	40	1435.60
योग : 3454		1435.60
योग : (ज)		1618.60
योग : ग -		737658.05
राजस्व लेखा		1375684.28
पूँजीगत लेखा		
क - सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय		
	26	40900.00
योग : 4055		40900.00
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय		
	42	40000.00
योग : 4059		40000.00
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय		
	14	1500.00
	26	3600.00
	37	52155.00
योग : 4070		57255.00
योग : क -		138155.00
ख - सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूँजीगत लेखा		
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	75	1023.80
	76	17278.00
	92	500.00
	योग : 4202	18801.80
	योग : (क)	18801.80
(ख) स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूँजीगत लेखा		
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
	31	750.00
	32	2000.00
	योग : 4210	2750.00
4211 - परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
	35	98751.33
	81	711.94
	83	64261.74
	योग : 4211	163725.01
	योग : (ख)	166475.01
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूँजीगत लेखा		
4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय		
	81	2900.30
	83	11923.70
	योग : 4216	14824.00
4217 - शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय		
	02	400000.00
	योग : 4217	400000.00
	योग : (ग)	414824.00
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूँजीगत लेखा		
4225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
	83	40384.69
	योग : 4225	40384.69
	योग : (ङ)	40384.69
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूँजीगत लेखा		
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय		
	49	5833.00
	79	600.00
	योग : 4235	6433.00
	योग : (छ)	6433.00
(ज) अन्य समाज सेवाओं का पूँजीगत लेखा		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	26	500.00
	69	7500.00
	77	37.80
	84	1610.00
योग : 4250		9647.80
योग : (ज)		9647.80
योग : ख -		656566.30
ग - आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा		
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय		
	60	25650.92
योग : 4406		25650.92
योग : (क)		25650.92
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा		
4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
	93	2380.39
योग : 4702		2380.39
योग : (घ)		2380.39
(ङ) उर्जा का पूंजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	09	65072.32
योग : 4801		65072.32
4810 - नये और नवीनीकृत उर्जा पर पूंजीगत परिव्यय		
	70	908.47
योग : 4810		908.47
योग : (ङ)		65980.78
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		
	40	30000.00
	58	183792.00
	83	21210.00
योग : 5054		235002.00
5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय		
	43	20000.00
योग : 5055		20000.00
योग : (छ)		255002.00
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	44	2000.00
योग : 5452		2000.00
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	03	30000.00
योग : 5475		30000.00
योग : (ञ)		32000.00
योग : ग -		381014.09
पूँजीगत लेखा		1175735.39
ड - लोक ऋण		
6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	09	535.00
योग : 6003		535.00
ड - लोक ऋण		535.00
च - कर्ज तथा उधार		
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	24	5000.00
योग : 6860		5000.00
6875 - अन्य उद्योगों के लिए कर्ज	07	820000.00
योग : 6875		820000.00
च - कर्ज तथा उधार		825000.00
योग : समेकत निधि		3376954.67

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-16 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	41777.86	319212.00	360989.86
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	400000.00	400000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	41777.86	719212.00	760989.86
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4217 - शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय

60 - अन्य शहरी विकास योजनायें

800 - अन्य व्यय

03 - नये शहरों का समग्र एवं समुचित विकास

24 - बृहत् निर्माण कार्य

400000.00

योग : 03 400000.00

योग : 800 400000.00

योग : 60 400000.00

योग : 4217 400000.00

योग : पूँजी लेखा 400000.00

योग : अनुपूरक 400000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश के नये शहरों के समग्र एवं समुचित विकास हेतु रुपये 400000000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 003

उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-12 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	97865.63	12546.11	110411.74
	भारित	6.00	...	6.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	30000.00	30000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	97865.63	42546.11	140411.74
	भारित	6.00	...	6.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

03 - औद्योगिक आस्थानों / औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेशको को आर्थिक सहायता

42 - अन्य व्यय

30000.00

योग : 03

30000.00

योग : 800

30000.00

योग : 5475

30000.00

योग : पूँजी लेखा

30000.00

योग : अनुपूरक

30000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. औद्योगिक आस्थानों / औद्योगिक पार्कों के विकास हेतु निजी क्षेत्र के निवेशकों को आर्थिक सहायता हेतु रुपये 3000000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-15 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	498421.05	664239.11	1162660.16
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	106990.69	820000.00	926990.69
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	605411.74	1484239.11	2089650.85
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2852 - उद्योग

07 - दूर संचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग

202 - इलेक्ट्रानिक्स

05 - इन्क्यूबेटर्स को बढावा देने तथा स्टार्ट - अप के लिए प्रारम्भिक निधि (सीड फण्ड)

42 - अन्य व्यय

10000.00

योग : 05

10000.00

17 - उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति का कार्यान्वयन

27 - सब्सिडी

3100.00

योग : 17

3100.00

20 - उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन

27 - सब्सिडी

32702.69

योग : 20

32702.69

योग : 202

45802.69

योग : 07

45802.69

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

04 - स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना

0401 - टेबलेट / स्मार्ट फोन का वितरण

	धनराशि
42 - अन्य व्यय	30000.00
योग : 0401	30000.00
योग : 04	30000.00
07 - ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023	
42 - अन्य व्यय	29656.00
योग : 07	29656.00
17 - स्टेट डाटा सेन्टर	
42 - अन्य व्यय	1532.00
योग : 17	1532.00
योग : 800	61188.00
योग : 80	61188.00
योग : 2852	106990.69
योग : राजस्व लेखा	106990.69

पूँजी लेखा-----

6875 - अन्य उद्योगों के लिए कर्ज

60 - अन्य उद्योग

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

03 - प्रदेश में निजी निवेशकर्ताओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्कों एवं औद्योगिक हब के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ऋण

30 - निवेश/ऋण	800000.00
योग : 03	800000.00
योग : 190	800000.00

800 - अन्य कर्ज

03 - पी.एम. गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड

30 - निवेश/ऋण	20000.00
योग : 03	20000.00
योग : 800	20000.00
योग : 60	820000.00
योग : 6875	820000.00

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	820000.00
योग : अनुपूरक	926990.69

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. इन्क्यूबेडर्स को बढावा देने तथा स्टार्टअप को संगठित करने हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. मेसर्स एच.सी.एल. आई.टी. सिटी (लखनऊ) प्राइवेट लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति -2016 के अन्तर्गत ब्याज उत्पादन के संवितरण हेतु रूपये 3100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति के अन्तर्गत भूमि की प्रचालित दर में प्रदत्त छूट की प्रतिपूर्ति तथा पात्र इकाईयों को प्रोत्साहन के संवितरण हेतु रूपये 3270269000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजनान्तर्गत टैबलेट / स्मार्ट फोन के वितरण हेतु रूपये 3000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से "ग्लोबल इन्वेस्टर समिट-2023' के आयोजन हेतु रूपये 2965600000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. उत्तर प्रदेश स्टेट डाटा सेन्टर के विस्तारीकरण हेतु रूपये 1532000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. प्रदेश में निजी निवेशकर्ताओं द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों, औद्योगिक पार्कों एवं औद्योगिक हब के निर्माण हेतु औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ऋण हेतु रूपये 80000000000 की आवश्यकता ।
8. पी.एम. गतिशक्ति योजना के अन्तर्गत संचालित होने वाली योजनाओं के लिए रिवाल्विंग फण्ड की स्थापना हेतु रूपये 2000000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-14 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2637183.09	1385768.65	4022951.74
	भारित	326895.81	440152.70	767048.51
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	525772.00	65072.32	590844.31
	भारित	91.41	535.00	626.41
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3162955.09	1450840.96	4613796.05
	भारित	326987.22	440687.70	767674.92

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2049 - ब्याज अदायगियां

01 - आन्तरिक ऋण पर ब्याज

200 - अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

03 - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

मतदेय

--

भारित

91.41

योग : 03

मतदेय

--

भारित

91.41

योग : 200

मतदेय

--

भारित

91.41

योग : 01

मतदेय

--

भारित

91.41

योग : 2049

मतदेय

--

भारित

91.41

2801 - बिजली

05 - संचरण एवं वितरण

800 - अन्य व्यय

04 - उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान

27 - सब्सिडी

100000.00

	धनराशि
योग : 04	100000.00
05 - उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की हानियों की फंडिंग	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	300772.00
योग : 05	300772.00
07 - निजी नलकूप उपभोक्ताओं को दिनांक 01-01-2022 से टैरिफ के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किए जाने के फलस्वरूप 2021-2022 के चतुर्थ त्रैमास एवं 2022-2023 हेतु यू.पी.पी.सी.एल. को अनुदान	
27 - सब्सिडी	125000.00
योग : 07	125000.00
योग : 800	525772.00
योग : 05	525772.00
योग : 2801	525772.00
योग : राजस्व लेखा	525772.00
मतदेय	91.41
भारित	

पूँजी लेखा-----

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

02 - ताप विद्युत शक्ति उत्पादन

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

14 - उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

1410 - 2x660 मेगावाट जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु अंशपूँजी विनियोजन

30 - निवेश/ऋण 10000.00

योग : 1410 10000.00

1419 - घाटमपुर, कानपुर में मेसर्स निवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि0 के साथ संयुक्त उपक्रम में 2000 मे0 वा0 की तापीय परियोजना की स्थापना

30 - निवेश/ऋण 30000.00

योग : 1419 30000.00

1422 - 1x660 मे0 वा0 पनकी तापीय विस्तार परियोजना हेतु अंशपूँजी

30 - निवेश/ऋण 10000.00

योग : 1422 10000.00

योग : 14 50000.00

	धनराशि
योग : 190	50000.00
योग : 02	50000.00

05 - संचरण तथा वितरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

06 - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11 वीं, 12 वीं एवं नवीन) तथा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत एस.जी.एस.टी. एवं वैट की भांति लेबर सेस एवं राज्य के अन्य करों के भुगतान की प्रतिपूर्ति

30 - निवेश/ऋण 1.00

योग : 06 1.00

15 - उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० द्वारा जारी रु० 3951.40 करोड के बंधपत्रों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु अंशपूजी

30 - निवेश/ऋण 15071.32

योग : 15 15071.32

योग : 190 15072.32

योग : 05 15072.32

योग : 4801 65072.32

6003 - राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

109 - अन्य संस्थाओं से कर्ज

03 - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु आर.ई.सी. से प्राप्त ऋण का प्रतिदान

30 - निवेश/ऋण मतदेय --

भारित 535.00

योग : 03 मतदेय --

भारित 535.00

योग : 109 मतदेय --

भारित 535.00

योग : 6003 मतदेय --

भारित 535.00

योग : पूँजी लेखा मतदेय 65072.32

भारित 535.00

योग : अनुपूरक मतदेय 590844.31

भारित 626.41

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजीव गांधी विद्युतीकरण योजनान्तर्गत आर.ई.सी. , नई दिल्ली से प्राप्त ऋण पर ब्याज के भुगतान (भारित मद) हेतु रुपये 9141000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-2021 के अन्तर्गत अनुमोदित सब्सिडी के अनुसार देय अन्तर की धनराशि की व्यवस्था हेतु रुपये 10000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के डिस्कॉम्स की हानियों की फंडिंग हेतु रुपये 30077200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

4. निजी नलकूप उपभोक्ताओं को दिनांक 01/01/2022 से टैरिफ के आधार पर 50 प्रतिशत की छूट प्रदान किये जाने के फलस्वरूप यू.पी.सी.एल. को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के चतुर्थ त्रैमास एवं वित्तीय वर्ष 2022-2023 हेतु रुपये 12500000000 की आवश्यकता ।
5. जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. 2000 मेगावाट घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु रुपये 3000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. पनकी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (11 वीं, 12 वीं एवं नवीन) तथा सौभाग्य योजना के अन्तर्गत एस.जी.एस.टी. एवं वैट की भांति लेबर सेस एवं राज्य के अन्य करों के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 100000 की प्रतीक ँ यवस् था । आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान के अन्तर्गत बचतों से वहन की जायेगी ।
9. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी बन्द पत्रों के सापेक्ष किये जाने वाले ब्याज के भुगतान हेतु रुपये 1507132000 की आवश्यकता ।
10. राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत आर.ई.सी. , नई दिल्ली से प्राप्त ऋण के पुर्नभुगतान की प्रतिपूर्ति (भारित मद) हेतु रुपये 53500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-55 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	663389.05	56911.27	720300.32
	भारित	20.05	...	20.05
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	19027.00	...	19027.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	682416.05	56911.27	739327.32
	भारित	20.05	...	20.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2401 - फसल कृषि कर्म

115 - छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना

03 - लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

19027.00

योग : 03

19027.00

योग : 115

19027.00

योग : 2401

19027.00

योग : राजस्व लेखा

19027.00

योग : अनुपूरक

19027.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत लघु तथा सीमान्त कृषकों को फसल ऋण के भुगतान हेतु रुपये 1902700000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 012

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-5 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	71434.24	...	71434.24
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	14.77	...	14.77
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	71449.01	...	71449.01
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

03 - मण्डलीय विकास निगमों के छटनीशुदा कर्मचारियों के वेतन आदि का भुगतान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

14.77

योग : 03

14.77

योग : 800

14.77

योग : 2515

14.77

योग : राजस्व लेखा

14.77

योग : अनुपूरक

14.77

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. लखनऊ मण्डल विकास निगम लि0 पर राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कम्पनी की देनदारियों के भुगतान हेतु रुपये 1477000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 013

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-25 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	390989.26	2072887.75	2463877.01
	भारित	7.50	...	7.50
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	8472.91	...	8472.91
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	399462.17	2072887.75	2472349.92
	भारित	7.50	...	7.50

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3054 - सड़क तथा सेतु

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

105 - रख-रखाव तथा मरम्मत

03 - उ.प्र. ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

0301 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण

29 - अनुरक्षण

8472.91

योग : 0301

8472.91

योग : 03

8472.91

योग : 105

8472.91

योग : 04

8472.91

योग : 3054

8472.91

योग : राजस्व लेखा

8472.91

योग : अनुपूरक

8472.91

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सड़कों का अनुरक्षण हेतु रूपये 847291000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-16 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1323664.17	39992.50	1363656.67
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1500.00	1500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1323664.17	41492.50	1365156.67
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

06 - ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम का निर्माण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1500.00

योग : 06

1500.00

योग : 800

1500.00

योग : 4070

1500.00

योग : पूँजी लेखा

1500.00

योग : अनुपूरक

1500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु रुपये 150000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 018

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-12 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	79269.77	6757.00	86026.77
	भारित	1379.60	2495.28	3874.88
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय
	भारित	193.30	...	193.30
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	79269.77	6757.00	86026.77
	भारित	1572.90	2495.28	4068.18

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2049 - ब्याज अदायगियां

01 - आन्तरिक ऋण पर ब्याज

200 - अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

03 - राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

	मतदेय	--
	भारित	193.30
योग : 03	मतदेय	--
	भारित	193.30
योग : 200	मतदेय	--
	भारित	193.30
योग : 01	मतदेय	--
	भारित	193.30
योग : 2049	मतदेय	--
	भारित	193.30
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	--
	भारित	193.30
योग : अनुपूरक	मतदेय	--
	भारित	193.30

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋणों पर ब्याज (भारित मद) हेतु रुपये 19330000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 022

खेल विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-13 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	16836.65	24239.95	41076.60
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3500.00	...	3500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	20336.65	24239.95	44576.60
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें

104 - खेलकूद

04 - क्रीडा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु)

42 - अन्य व्यय

45.02

योग : 04

45.02

06 - क्रीडा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय- (बालको हेतु)

42 - अन्य व्यय

11.32

योग : 06

11.32

09 - क्रीडागनों/स्टेडियमों/बहुउद्देशीय हालों/तरणतालों /छात्रावासो एवं भवनों का अनुरक्षण

29 - अनुरक्षण

1443.66

योग : 09

1443.66

14 - खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हेतु

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

2000.00

योग : 14

2000.00

योग : 104

3500.00

योग : 2204

3500.00

योग : राजस्व लेखा

3500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. क्रीडा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों (बालकों/बालिकाओं) एवं क्रीडांगनों / स्टेडियमों / बहुउद्देशीय हालों / तरणतालों / छात्रावासों एवं भवनों के अनुरक्षण तथा व्यय हेतु रूपये 150000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. खेलो इण्डिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन हेतु रूपये 200000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 023

गन्ना विकास विभाग (गन्ना)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	27217.65	...	27217.65
	भारित	2.00	...	2.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	15500.00	...	15500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	42717.65	...	42717.65
	भारित	2.00	...	2.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3054 - सड़क तथा सेतु

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

105 - रख-रखाव तथा मरम्मत

03 - गन्ना वि कास परिषद द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों को गडढामुक्त किया जाना

29 - अनुरक्षण

15500.00

योग : 03

15500.00

योग : 105

15500.00

योग : 04

15500.00

योग : 3054

15500.00

योग : राजस्व लेखा

15500.00

योग : अनुपूरक

15500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. गन्ना विकास परिषद द्वारा निर्मित सम्पर्क मार्गों को गडढा मुक्त किये जाने एवं अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 1550000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 024

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	8962.57	142025.00	150987.57
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	5000.00	5000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	8962.57	147025.00	155987.57
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

04 - चीनी

101 - सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

21 - सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण / प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र / को-जेनरेशन संयंत्र / आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण

30 - निवेश/ऋण

2000.00

योग : 21

2000.00

22 - ऋण सहकारी चीनी मिल्स के कर्मचारियों / सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज

30 - निवेश/ऋण

3000.00

योग : 22

3000.00

योग : 101

5000.00

योग : 04

5000.00

योग : 6860

5000.00

योग : पूँजी लेखा

5000.00

योग : अनुपूरक

5000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सहकारी चीनी मिलों के क्षमता विस्तारीकरण / आधुनिकीकरण/प्रदूषण नियंत्रण / को-जेनरेशन संयंत्र आसवनी की स्थापना एवं जीर्णोद्धार आदि कार्यों हेतु ऋण

रुपये 200000000 की आवश्यकता ।

2. रुग्ण सहकारी चीनी मिल्स के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु कर्ज रुपये 300000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 1-53 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2853710.09	427326.94	3281037.03
	भारित	105.00	...	105.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	20000.00	45000.00	65000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2873710.09	472326.94	3346037.03
	भारित	105.00	...	105.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2055 - पुलिस

001 - निदेशन और प्रशासन

03 - मुख्य

08 - कार्यालय व्यय	10.00
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	115.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	40.00
49 - चिकित्सा व्यय	15.00

योग : 03 180.00

योग : 001 180.00

101 - आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

03 - अभिसूचना अनुभाग-मुख्य-

08 - कार्यालय व्यय	50.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	500.00
49 - चिकित्सा व्यय	150.00

योग : 03 1000.00

04 - अनुसंधान अनुभाग--

0401 - भ्रष्टाचार निवारण संगठन--

	धनराशि
04 - यात्रा व्यय	10.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00
49 - चिकित्सा व्यय	10.00
योग : 0401	24.00
0402 - अर्थ विषयक अभिसूचना एवं अनुसंधान इकाई--	
49 - चिकित्सा व्यय	25.00
योग : 0402	25.00
0403 - अनुसंधान की अपराध शाखा तथा अन्य इकाईयां---	
58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	16.00
योग : 0403	16.00
0406 - स्पेशल टास्क फोर्स	
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	15.00
49 - चिकित्सा व्यय	30.00
योग : 0406	85.00
0407 - विशेष अनुसंधान दल	
49 - चिकित्सा व्यय	10.00
योग : 0407	10.00
0408 - आतंकवाद निरोधक दस्ता	
29 - अनुरक्षण	50.00
49 - चिकित्सा व्यय	20.00
योग : 0408	70.00
0409 - सुरक्षा शाखा	
49 - चिकित्सा व्यय	100.00
योग : 0409	100.00

	धनराशि
योग : 04	330.00
योग : 101	1330.00
104 - विशेष पुलिस	
03 - राज्य शस्त्र कान्स्टेबुलरी-मुख्य-	
04 - यात्रा व्यय	8435.00
योग : 03	8435.00
07 - उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी	
04 - यात्रा व्यय	50.00
49 - चिकित्सा व्यय	20.00
योग : 07	70.00
योग : 104	8505.00
108 - राज्य मुख्यालय पुलिस	
03 - राज्य पुलिस मुख्यालय--	
08 - कार्यालय व्यय	50.00
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00
42 - अन्य व्यय	5.00
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	10.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	20.00
योग : 03	105.00
योग : 108	105.00
109 - जिला पुलिस	
03 - जिला पुलिस (मुख्य)	
29 - अनुरक्षण	2000.00
49 - चिकित्सा व्यय	4000.00
योग : 03	6000.00
05 - मोटर परिवहन अनुभाग- मुख्य	
49 - चिकित्सा व्यय	200.00
योग : 05	200.00
07 - जिला पुलिस (थाना)	
29 - अनुरक्षण	500.00

	धनराशि
योग : 07	500.00
13 - यू.पी. 112 परियोजना	
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	1500.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	11.00
49 - चिकित्सा व्यय	20.00
योग : 13	1531.00
15 - वूमेन पावर लाईन - 1090	
01 - वेतन	350.00
03 - मंहगाई भत्ता	145.00
06 - अन्य भत्ते	26.00
55 - मकान किराया भत्ता	23.00
योग : 15	544.00
योग : 109	8775.00
111 - रेलवे पुलिस	
03 - मुख्य	
04 - यात्रा व्यय	100.00
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	175.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50.00
49 - चिकित्सा व्यय	200.00
योग : 03	525.00
योग : 111	525.00
114 - बेतार और कम्प्यूटर	
03 - पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र	
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15.00
49 - चिकित्सा व्यय	50.00
योग : 03	65.00
योग : 114	65.00
116 - न्यायालयिक विज्ञान	
03 - विधि विज्ञान प्रयोगशालायें	
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	400.00
योग : 03	400.00

	धनराशि
योग : 116	400.00
योग : 2055	19885.00

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

80 - सामान्य

102 - विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश , आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध

03 - एस 0 डी0 आर 0 एफ 0 का गठन

04 - यात्रा व्यय	10.00
49 - चिकित्सा व्यय	75.00

योग : 03 85.00

योग : 102 85.00

योग : 80 85.00

योग : 2245 85.00

2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवार्थें

090 - सचिवालय

03 - नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु मशीनरी का सुदृढीकरण

49 - चिकित्सा व्यय	30.00
--------------------	-------

योग : 03 30.00

योग : 090 30.00

योग : 2251 30.00

योग : राजस्व लेखा 20000.00

पूँजी लेखा-----

4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

207 - राज्य पुलिस

03 - गृह (पुलिस) विभाग की विभिन्न इकाइयों के निर्माण कार्य हेतु

25 - लघु निर्माण कार्य	500.00
------------------------	--------

योग : 03 500.00

06 - पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य	10300.00
--------------------------	----------

योग : 06 10300.00

18 - पुलिस विभाग के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय

14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	4060.00
----------------------------	---------

	धनराशि
योग : 18	4060.00
19 - स्पेशल टास्क फोर्स	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	300.00
योग : 19	300.00
20 - विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1500.00
योग : 20	1500.00
योग : 207	16660.00
211 - पुलिस आवास	
06 - पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	20000.00
योग : 06	20000.00
09 - अग्निशमन केन्द्र के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	4000.00
योग : 09	4000.00
योग : 211	24000.00
800 - अन्य व्यय	
06 - सुरक्षा व्यवस्था	
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	240.00
योग : 06	240.00
योग : 800	240.00
योग : 4055	40900.00
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
800 - अन्य व्यय	
05 - अग्नि शमन सेवाओं का सुदृढीकरण	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	2000.00
योग : 05	2000.00
09 - जिला पुलिस (मुख्य)	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	600.00
योग : 09	600.00
18 - राज्य रेडियो अनुभाग	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	700.00

	धनराशि
योग : 18	700.00
19 - वूमैन पावर लाइन	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	300.00
योग : 19	300.00
योग : 800	3600.00
योग : 4070	3600.00
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	
101 - प्राकृतिक आपदाएं	
03 - एस 0 डी0 आर 0 एफ 0	
0301 - अनावासीय भवन का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 0301	500.00
योग : 03	500.00
योग : 101	500.00
योग : 4250	500.00
योग : पूंजी लेखा	45000.00
योग : अनुपूरक	65000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पुलिस विभाग के अन्तर्गत विभिन्न मदों हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. पुलिस विभाग के अन्तर्गत पुलिस कमिश्नरेट एवं आवासीय भवनों के निर्माण हेतु पूंजीगत पक्ष में रुपये 2000000000 की आवश्यकता ।
3. पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु रुपये 500000000 की आवश्यकता ।
4. पुलिस विभाग के आवासीय भवनों के निर्माण, उपकरण तथा गाडियों के क्रय हेतु रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-54 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	469379.91	451907.24	921287.15
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	23900.75	750.00	24650.75
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	493280.66	452657.24	945937.90
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलोपैथी

03 - शिक्षा

0339 - गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर

10 - जलकर / जल प्रभार

375.00

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान

500.00

योग : 0339

875.00

0340 - मेडिकल कालेज प्रयागराज

21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन

2450.00

योग : 0340

2450.00

0341 - मेडिकल कालेज मेरठ

10 - जलकर / जल प्रभार

565.00

योग : 0341

565.00

0348 - मेडिकल कालेज, एटा

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1000.00

	धनराशि
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	900.00
योग : 0348	1900.00
0349 - मेडिकल कालेज, हरदोई	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	827.00
योग : 0349	1827.00
0350 - मेडिकल कालेज, प्रतापगढ	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	750.00
योग : 0350	1750.00
0351 - मेडिकल कालेज, फतेहपुर	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	700.00
योग : 0351	1700.00
0352 - मेडिकल कालेज, सिद्धार्थनगर	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	471.00
योग : 0352	1471.00
0353 - मेडिकल कालेज, देवरिया	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	900.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	868.75
योग : 0353	1768.75
0354 - मेडिकल कालेज, गाजीपुर	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1500.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	800.00

	धनराशि
योग : 0354	2300.00
0355 - मेडिकल कालेज, मीरजापुर	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	900.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	1444.00
योग : 0355	2344.00
0381 - मेडिकल कालेज, फ़िरोजाबाद	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	800.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	250.00
योग : 0381	1050.00
0383 - मेडिकल कालेज, अयोध्या	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	300.00
योग : 0383	1300.00
0384 - मेडिकल कालेज, बहराइच	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
योग : 0384	1000.00
0385 - मेडिकल कालेज, शाहजहांपुर	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
योग : 0385	1000.00
0386 - राजकीय मेडिकल कॉलेज, जौनपुर	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	600.00
योग : 0386	600.00
योग : 03	23900.75
योग : 105	23900.75

	धनराशि
योग : 05	23900.75
योग : 2210	23900.75
योग : राजस्व लेखा	23900.75
<hr/>	
पूँजी लेखा-----	
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	
03 - चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105 - एलोपैथी	
80 - मेडिकल कालेज, अयोध्या	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	750.00
योग : 80	750.00
योग : 105	750.00
योग : 03	750.00
योग : 4210	750.00
योग : पूँजी लेखा	750.00
योग : अनुपूरक	24650.75

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. विभिन्न मेडिकल कालेजों एवं संस्थानों में विभिन्न मानक मर्दों में राजस्व पक्ष में 23900.75 लाख तथा पूँजीगत पक्ष में 750.00 लाख इस प्रकार कुल रूपये 2465075000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 032

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-17 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	889638.41	120265.38	1009903.79
	भारित	20.00	...	20.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2000.00	2000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	889638.41	122265.38	1011903.79
	भारित	20.00	...	20.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय

02 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें

104 - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

10 - सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

2000.00

योग : 10

2000.00

योग : 104

2000.00

योग : 02

2000.00

योग : 4210

2000.00

योग : पूँजी लेखा

2000.00

योग : अनुपूरक

2000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये उपकरणों का क्रय हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 035

चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-23 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1401914.65	150005.15	1551919.80
	भारित	45.00	...	45.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	169206.76	98751.33	267958.09
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1571121.41	248756.48	1819877.89
	भारित	45.00	...	45.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2211 - परिवार कल्याण

800 - अन्य व्यय

06 - 15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन

42 - अन्य व्यय

68766.16

योग : 06

68766.16

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन

42 - अन्य व्यय

100440.60

योग : 8901

100440.60

योग : 89

100440.60

योग : 800

169206.76

योग : 2211

169206.76

योग : राजस्व लेखा

169206.76

पूँजी लेखा-----

4211 - परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

103 - मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य

02 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

	धनराशि
0201 - चिकित्सालयों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.)	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	13407.95
योग : 0201	13407.95
योग : 02	13407.95
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8901 - चिकित्सालयों का सुदृढीकरण	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	23678.00
योग : 8901	23678.00
योग : 89	23678.00
योग : 103	37085.95
800 - अन्य व्यय	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0103 - प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना (के.60 / रा.40- के.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	36999.23
योग : 0103	36999.23
योग : 01	36999.23
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8903 - प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	24666.15
योग : 8903	24666.15
योग : 89	24666.15
योग : 800	61665.38
योग : 4211	98751.33
योग : पूँजी लेखा	98751.33
योग : अनुपूरक	267958.09

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. 15 वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ के क्रियान्वयन हेतु रुपये 6876616000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रुपये 10044060000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. चिकित्सालयों का सुदृढीकरण हेतु केन्द्रांश की धनराशि रुपये एवं राज्यांश की धनराशि रुपये अर्थात् कुल रुपये 3708595000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना हेतु रुपये 6166538000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-27 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2235509.69	28008.35	2263518.04
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	92400.00	52155.00	144555.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2327909.69	80163.35	2408073.04
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2217 - शहरी विकास

05 - अन्य शहरी विकास योजनाये

051 - निर्माण

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0105 - लखनऊ, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.)

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 4100.00

योग : 0105 4100.00

0107 - कानपुर, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.)

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 4100.00

योग : 0107 4100.00

0109 - आगरा, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.)

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 4900.00

योग : 0109 4900.00

0112 - झांसी, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.)

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 4100.00

	धनराशि
योग : 0112	4100.00
0113 - वाराणसी, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.)	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4900.00
योग : 0113	4900.00
0114 - बरेली, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु (के.50/रा.50-के.)	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4100.00
योग : 0114	4100.00
योग : 01	26200.00
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8905 - लखनऊ, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4900.00
योग : 8905	4900.00
8906 - मुरादाबाद, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	9800.00
योग : 8906	9800.00
8907 - कानपुर, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4900.00
योग : 8907	4900.00
8908 - सहारनपुर, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	9800.00
योग : 8908	9800.00
8909 - आगरा, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4900.00
योग : 8909	4900.00

	धनराशि
8911 - अलीगढ, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु 35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4900.00
योग : 8911	4900.00
8912 - झांसी, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु 35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	9800.00
योग : 8912	9800.00
8913 - वाराणसी, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु 35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	4900.00
योग : 8913	4900.00
8914 - बरेली, स्मार्ट सिटी मिशन कार्यक्रम हेतु 35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	9800.00
योग : 8914	9800.00
	योग : 89 63700.00
	योग : 051 89900.00
	योग : 05 89900.00
80 - सामान्य	
800 - अन्य व्यय	
10 - उत्तर प्रदेश में होने वाली जी-20 सम्मेलन की बैठकों हेतु	
42 - अन्य व्यय	2500.00
योग : 10	2500.00
योग : 800	2500.00
योग : 80	2500.00
योग : 2217	92400.00
योग : राजस्व लेखा	92400.00

पूँजी लेखा-----

4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

07 - महाकुम्भ मेला, 2025, प्रयागराज

24 - बृहत् निर्माण कार्य

	धनराशि
	52155.00
योग : 07	52155.00
योग : 800	52155.00
योग : 4070	52155.00
योग : पूँजी लेखा	52155.00
योग : अनुपूरक	144555.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. स्मार्ट सिटी मिशन हेतु रुपये 8990000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश में होने वाली जी-20 सम्मेलन के बैठकों हेतु रुपये 250000000 की आवश्यकता ।
3. महाकुम्भ मेला, 2025 प्रयागराज के आयोजन हेतु रुपये 5215500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 040

नियोजन विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-34 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	31401.32	255715.44	287116.76
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1618.60	30000.00	31618.60
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	33019.92	285715.44	318735.36
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें

101 - योजना आयोग/योजना बोर्ड

05 - स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन

42 - अन्य व्यय

1.00

योग : 05

1.00

06 - मुख्यमन्त्री फेलोशिप कार्यक्रम

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

160.00

42 - अन्य व्यय

1.00

44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय

20.00

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

0.50

47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय

0.50

योग : 06

182.00

योग : 101

183.00

योग : 3451

183.00

3454 - जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

001 - निदेशन तथा प्रशासन

07 - " प्रदेश की अर्थ व्यवस्था वन ट्रिलियन डालर के स्तर पर लाया जाना "

	धनराशि
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1435.60
योग : 07	1435.60
योग : 001	1435.60
योग : 02	1435.60
योग : 3454	1435.60
योग : राजस्व लेखा	1618.60
पूँजी लेखा-----	
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	
04 - जिला तथा अन्य सड़कें	
337 - सड़क निर्माण कार्य	
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	30000.00
योग : 03	30000.00
योग : 337	30000.00
योग : 04	30000.00
योग : 5054	30000.00
योग : पूँजी लेखा	30000.00
योग : अनुपूरक	31618.60

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नवगठित स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के अधिष्ठान व्यय हेतु रुपये 100000 की प्रतीक व्यवस्था। आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी।
2. मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संचालन हेतु रुपये 18200000 की आवश्यकता।
3. प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर के स्तर पर लाये जाने हेतु परामर्शी संस्था को भुगतान के लिये रुपये 143560000 की आवश्यकता।
4. त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अधूरी सड़कों के लिये एकमुश्त षड्यन्त्र था हेतु रुपये 3000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता।

अनुदान संख्या 042

न्याय विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-39 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	330631.54	238920.02	569551.56
	भारित	71616.68	650.00	72266.68
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	40000.00	40000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	330631.54	278920.02	609551.56
	भारित	71616.68	650.00	72266.68

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

08 - पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत = यायालय परिसर का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

40000.00

योग : 08

40000.00

योग : 051

40000.00

योग : 01

40000.00

योग : 4059

40000.00

योग : पूँजी लेखा

40000.00

योग : अनुपूरक

40000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. 10 जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत न्यायालय परिसर के निर्माण हेतु रुपये 4000000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 043

परिवहन विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-14 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	37529.83	17136.39	54666.22
	भारित	0.01	...	0.01
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	10000.00	20000.00	30000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	47529.83	37136.39	84666.22
	भारित	0.01	...	0.01

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3055 - सड़क परिवहन

800 - अन्य व्यय

06 - इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी

27 - सब्सिडी

10000.00

योग : 06

10000.00

योग : 800

10000.00

योग : 3055

10000.00

योग : राजस्व लेखा

10000.00

पूँजी लेखा-----

5055 - सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

03 - उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन

30 - निवेश/ऋण

20000.00

योग : 03

20000.00

योग : 190

20000.00

योग : 5055

20000.00

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	20000.00
योग : अनुपूरक	30000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, 2022 के अन्तर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. 1000 नयी बसों के क्रय हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम में अंशपूँजी विनियोजन हेतु रुपये 2000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-10 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	14422.32	93997.21	108419.53
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2000.00	2000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	14422.32	95997.21	110419.53
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5452 - पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

104 - संवर्धन तथा प्रचार

10 - इको टूरिज्म का विकास

24 - वृहत् निर्माण कार्य

2000.00

योग : 10 2000.00

योग : 104 2000.00

योग : 80 2000.00

योग : 5452 2000.00

योग : पूँजी लेखा 2000.00

योग : अनुपूरक 2000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. इको-टूरिज्म के विकास हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 049

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-24 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1197128.19	22220.03	1219348.22
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	6493.56	5833.00	12326.56
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1203621.75	28053.03	1231674.78
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

03 - बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 30.00

49 - चिकित्सा व्यय 150.00

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान 13.56

योग : 03 193.56

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8930 - नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम

42 - अन्य व्यय 6300.00

योग : 8930 6300.00

योग : 89 6300.00

योग : 102 6493.56

योग : 02 6493.56

योग : 2235 6493.56

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	6493.56
<hr/>	
पूँजी लेखा-----	
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	
02 - समाज कल्याण	
102 - बाल कल्याण	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0127 - आंगनबाड़ी केन्द्रों का अपग्रेडेशन (के.60/रा.40-के+रा.)	
25 - लघु निर्माण कार्य	1015.80
योग : 0127	1015.80
<hr/>	
योग : 01	1015.80
<hr/>	
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8903 - आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	4140.00
योग : 8903	4140.00
<hr/>	
8927 - आंगनबाड़ी केन्द्रों का अपग्रेडेशन	
25 - लघु निर्माण कार्य	677.20
योग : 8927	677.20
<hr/>	
योग : 89	4817.20
<hr/>	
योग : 102	5833.00
<hr/>	
योग : 02	5833.00
<hr/>	
योग : 4235	5833.00
<hr/>	
योग : पूँजी लेखा	5833.00
<hr/>	
योग : अनुपूरक	12326.56

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. बाल विकास एवं पुष्टाहार निदेशालय की विभिन्न मानक मदों 19356000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. नेशनल न्यूट्रिशियन मिशन कार्यक्रम हेतु रूपये 630000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. आंगनबाड़ी केन्द्रों के अपग्रेडेशन हेतु रूपये 169300000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु रूपये 414000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 1-18 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	665524.83	1587159.00	2252683.83
	भारित	15000.00	3000.00	18000.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	50000.00	183792.00	233792.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	715524.83	1770951.00	2486475.83
	भारित	15000.00	3000.00	18000.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3054 - सड़क तथा सेतु

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

05 - राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण

29 - अनुरक्षण

50000.00

योग : 05 50000.00

योग : 337 50000.00

योग : 04 50000.00

योग : 3054 50000.00

योग : राजस्व लेखा 50000.00

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

13 - एक मुश्त व्यवस्था

1323 - राज्य / प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

78790.00

	धनराशि
योग : 1323	78790.00
1352 - अन्तर्राज्यीय / अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर प्रदेश की सीमा के अन्दर बहुउद्देशीय हब का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1.00
60 - भूमि क्रय	1.00
योग : 1352	2.00
1353 - धर्मार्थ - मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	5000.00
योग : 1353	5000.00
योग : 13	
	83792.00
58 - राज्य सड़क निधि से सड़कों का निर्माण / सुदृढीकरण / चौड़ीकरण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	100000.00
योग : 58	100000.00
योग : 337	183792.00
योग : 04	183792.00
योग : 5054	183792.00
योग : पूँजी लेखा	183792.00
योग : अनुपूरक	233792.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों के अनुरक्षण हेतु रुपये 5000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य / प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) हेतु रुपये 7879000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर प्रदेश की सीमा के अंदर बहुउद्देशीय हब के निर्माण हेतु रुपये 100000 की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
4. अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय मार्ग पर प्रदेश की सीमा के अंदर बहुउद्देशीय हब के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 100000 की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
5. धर्मार्थ-मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास के लिये एक मुश्त व्यवस्था हेतु रुपये 5000000000 की आवश्यकता ।
6. राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण / सुदृढीकरण हेतु रुपये 10000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-27 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	101088.00	72992.59	174080.59
	भारित	3180.03	...	3180.03
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	10.08	25650.92	25661.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	101098.08	98643.51	199741.59
	भारित	3180.03	...	3180.03

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव

01 - वानिकी

102 - समाज तथा फार्म वानिकी

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0103 - ग्रीन इण्डिया मिशन (के.60 + रा.40 - के.)

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 0.01

29 - अनुरक्षण 0.01

47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय 0.01

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान 0.01

योग : 01 0.04

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8903 - ग्रीन इण्डिया मिशन

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 0.01

29 - अनुरक्षण 0.01

47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय 0.01

58 - आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान 0.01

योग : 89 0.04

योग : 102 0.08

	धनराशि
योग : 01	0.08

02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110 - वन्य जीव परिरक्षण

17 - जनपद लखनऊ स्थित कुकुरैल वन क्षेत्र में कुकुरैल नाईट सफारी पार्क की स्थापना

01 - वेतन	0.01
03 - मंहगाई भत्ता	0.01
06 - अन्य भत्ते	0.01
42 - अन्य व्यय	9.97

योग : 17 10.00

योग : 110 10.00

योग : 02 10.00

योग : 2406 10.08

योग : राजस्व लेखा 10.08

पूँजी लेखा-----

4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01 - वानिकी

102 - समाज तथा फार्म वानिकी

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0103 - ग्रीन इण्डिया मिशन (के.60 + रा.40 - के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य	1669.20
42 - अन्य व्यय	502.15

योग : 0103 2171.35

योग : 01 2171.35

03 - समाजिक वानिकी (जिला योजना)

24 - वृहत् निर्माण कार्य	17442.00
--------------------------	----------

योग : 03 17442.00

05 - पौधशाला प्रबन्धन योजना

24 - वृहत् निर्माण कार्य	4500.00
--------------------------	---------

योग : 05 4500.00

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

	धनराशि
8903 - ग्रीन इण्डिया मिशन	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	1112.80
42 - अन्य व्यय	334.77
योग : 8903	1447.57
योग : 89	1447.57
योग : 102	25560.92
योग : 01	25560.92
02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110 - वन्य जीव	
17 - जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	60.00
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	20.00
42 - अन्य व्यय	10.00
योग : 17	90.00
योग : 110	90.00
योग : 02	90.00
योग : 4406	25650.92
योग : पूँजी लेखा	25650.92
योग : अनुपूरक	25661.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ग्रीन इण्डिया मिशन हेतु रुपये 361900000 की आवश्यकता ।
2. जनपद लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना हेतु रुपये 10000000 की आवश्यकता ।
3. सामाजिक वानिकी योजना (जिला योजना) हेतु रुपये 1744200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. पौधशाला प्रबंधन योजना हेतु रुपये 450000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 061

वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-55 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2015965.91	15500.00	2031465.91
	भारित	4495486.03	2813673.25	7309159.28
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	25136.00	...	25136.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2041101.91	15500.00	2056601.91
	भारित	4495486.03	2813673.25	7309159.28

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

05 - राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण

42 - अन्य व्यय

25136.00

योग : 05 25136.00

योग : 800 25136.00

योग : 80 25136.00

योग : 2217 25136.00

योग : राजस्व लेखा 25136.00

योग : अनुपूरक 25136.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य सरकार द्वारा संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड में अन्तरण हेतु रूपये 2513600000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 069

व्यावसायिक शिक्षा विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-10 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	84236.88	18121.00	102357.88
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	19646.00	7500.00	27146.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	103882.88	25621.00	129503.88
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास

03 - प्रशिक्षण

003 - शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8904 - कौशल विकास मिशन के माध्यम से "स्किल्स एक्वीजीशन एण्ड नालेज अवेयरनेस फॉर लाईवलीहुडनेस (संकल्प) योजना" का क्रियान्वयन

42 - अन्य व्यय 999.00

योग : 8904 999.00

योग : 89 999.00

योग : 003 999.00

101 - औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0106 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई 0 टी0 आई 0 के रूप में उच्चीकरण (के.70-रा.30 के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 306.00

योग : 0106 306.00

योग : 01 306.00

06 - प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) का उन्नयन

	धनराशि
42 - अन्य व्यय	17500.00
	योग : 06
	17500.00
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8906 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई 0 टी0 आई 0 के रूप में उच्चीकरण	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	41.00
	योग : 8906
	41.00
	योग : 89
	41.00
	योग : 101
	17847.00
102 - शिक्षता प्रशिक्षण	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें	
0101 - राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना(ए.ए.पी.एस.) (के.100 /रा.00 -के.)	
42 - अन्य व्यय	800.00
	योग : 0101
	800.00
	योग : 01
	800.00
	योग : 102
	800.00
	योग : 03
	19646.00
	योग : 2230
	19646.00
	योग : राजस्व लेखा
	19646.00
पूँजी लेखा-----	
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	
203 - रोजगार	
06 - प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के उन्नयन अन्तर्गत आधुनिक कार्यशालाओं व थ्योरी कक्षों का	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	7500.00
	योग : 06
	7500.00
	योग : 203
	7500.00
	योग : 4250
	7500.00
	योग : पूँजी लेखा
	7500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कौशल विकास मिशन के माध्यम से स्किल्स एक्कीजीशन एण्ड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइविलीहुडनेस (संकल्प) योजना हेतु रुपये 99900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उच्चीकरण हेतु केन्द्रांश की धनराशि रुपये 306.00 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रुपये 41.00 लाख अर्थात कुल रुपये 34700000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के उन्नयन हेतु रुपये 175000000 की आवश्यकता ।
4. राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना (एन.ए.पी.एस.) के संचालन हेतु रुपये 80000000 की आवश्यकता ।
5. प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) के उन्नयन अन्तर्गत आधुनिक कार्य शालाओं व थ्योरी कक्षों के निर्माण हेतु रुपये हेतु रुपये 75000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 070

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-8 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	51760.54	2140.00	53900.54
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	252.00	908.47	1160.46
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	52012.54	3048.47	55061.01
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2810 - अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

02 - सौर

101 - सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम

03 - विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

0310 - अयोध्या सौर सिटी का विकास

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

250.00

योग : 0310

250.00

0311 - उत्तर प्रदेश ऊर्जा नीति का प्रचार प्रसार

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1.00

योग : 0311

1.00

0312 - उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत अन्य सौर सिटी का विकास

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

1.00

योग : 0312

1.00

योग : 03

252.00

	धनराशि
योग : 101	252.00
योग : 02	252.00
योग : 2810	252.00
योग : राजस्व लेखा	252.00

पूँजी लेखा-----

4810 - नये और नवीनीकृत ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय

102 - सौर ऊर्जा

04 - सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना

27 - सब्सिडी

	908.47
योग : 04	908.47
योग : 102	908.47
योग : 4810	908.47
योग : पूँजी लेखा	908.47
योग : अनुपूरक	1160.47

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति - 2022 के अन्तर्गत अयोध्या सोलर सिटी के विकास हेतु रुपये 250000000 की आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु रुपये 100000 की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
3. उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के अन्तर्गत अन्य सोलर सिटी के विकास हेतु रुपये 100000 की व्यवस्था। आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान के अन्तर्गत सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
4. सौर ऊर्जा नीति-2017 के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड एवं पूर्वाञ्चल क्षेत्र में स्थापित ग्रिड संयोजित सौर पावर प्लाण्ट में विद्युत निकासी के लिए पारेषण लाइन हेतु 90847000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 071

शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 1-16 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	6320769.76	136534.36	6457304.12
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	17741.70	...	17741.70
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	6338511.46	136534.36	6475045.82
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

102 - अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता

31 - निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा

3105 - अशासकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के कक्षा-1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय के निमित्त सहायता

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

17741.70

योग : 3105

17741.70

योग : 31

17741.70

योग : 102

17741.70

योग : 01

17741.70

योग : 2202

17741.70

योग : राजस्व लेखा

17741.70

योग : अनुपूरक

17741.70

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. अशासकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अलाभिक समूह एवं कमजोर वर्ग के कक्षा-1 से 8 के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय

के निमित्त सहायता हेतु रूपये 1774170000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 1-29 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1445314.48	49032.01	1494346.49
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	5500.00	...	5500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1450814.48	49032.01	1499846.49
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

02 - माध्यमिक शिक्षा

108 - परीक्षाएं

03 - माध्यमिक शिक्षा परिषद

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

500.00

42 - अन्य व्यय

5000.00

योग : 03

5500.00

योग : 108

5500.00

योग : 02

5500.00

योग : 2202

5500.00

योग : राजस्व लेखा

5500.00

योग : अनुपूरक

5500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

- वर्ष 2018-2019, 2019-2020 एवं 2020-2021 के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन एवं कक्ष निरीक्षकों आदि के लम्बित पारिश्रमिक के भुगतान हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
- परिषदीय परीक्षाओं में प्रश्नपत्रों की जी.पी.एस. ट्रेकिंग, परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्नपत्रों की सर्विलांस द्वारा निगरानी एवं नकलविहीन परीक्षा के दृष्टिगत परीक्षा केन्द्रों में सी.सी.टी.वी. के माध्यम से प्रभावी निगरानी हेतु रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 075

शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 1-19 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	23307.95	2798.50	26106.45
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1023.80	1023.80
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	23307.95	3822.30	27130.25
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

201 - प्रारम्भिक शिक्षा -

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.)

25 - लघु निर्माण कार्य

270.52

योग : 0101

270.52

0104 - 03 जनपदों (गाजियाबाद, अमेठी, कासगंज) में नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

24 - बृहत् निर्माण कार्य

343.76

योग : 0104

343.76

योग : 01

614.28

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण

25 - लघु निर्माण कार्य

180.35

योग : 8901

180.35

	धनराशि
8904 - 03 जनपदों (गाजियाबाद, अमेठी, कासगंज) में नवीन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	229.17
योग : 8904	229.17
योग : 89	409.52
योग : 201	1023.80
योग : 01	1023.80
योग : 4202	1023.80
योग : पूँजी लेखा	1023.80
योग : अनुपूरक	1023.80

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढीकरण हेतु केन्द्रांश की धनराशि रुपये 270.52 लाख तथा राज्य की धनराशि रुपये 180.35 लाख अर्थात् कुल धनराशि रुपये 45087000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. जनपद गाजियाबाद, अमेठी एवं कासगंज में नवीन जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु केन्द्रांश की धनराशि रुपये 343.76 लाख तथा राज्य की धनराशि रुपये 229.17 लाख अर्थात् कुल धनराशि रुपये 57293000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 076

श्रम विभाग (श्रम कल्याण)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-24 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	52721.42	30041.00	82762.42
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	3075.52	17278.00	20353.52
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	55796.94	47319.00	103115.94
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास

01 - श्रम

111 - श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा

04 - उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी

42 - अन्य व्यय

3075.52

योग : 04

3075.52

योग : 111

3075.52

योग : 01

3075.52

योग : 2230

3075.52

योग : राजस्व लेखा

3075.52

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

202 - माध्यमिक शिक्षा

03 - अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना

42 - अन्य व्यय

17278.00

	धनराशि
योग : 03	17278.00
योग : 202	17278.00
योग : 01	17278.00
योग : 4202	17278.00
योग : पूँजी लेखा	17278.00
योग : अनुपूरक	20353.52

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि की जमा धनराशि की वापसी हेतु रूपये 307552000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु रूपये 1727800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 077

श्रम विभाग (सेवायोजन)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-8 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	13978.03	74.61	14052.64
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	30.43	37.80	68.23
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	14008.46	112.41	14120.87
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास

02 - रोजगार सेवाएं

001 - निदेशन और प्रशासन

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0101 - मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना (के.100/रा.-के.)

12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण

17.21

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

13.22

योग : 0101

30.43

योग : 01

30.43

योग : 001

30.43

योग : 02

30.43

योग : 2230

30.43

योग : राजस्व लेखा

30.43

पूँजी लेखा-----

4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

203 - रोजगार

	धनराशि
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101 - मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना (के.100/रा.0-के.)	
25 - लघु निर्माण कार्य	37.80
योग : 0101	37.80
योग : 01	37.80
योग : 203	37.80
योग : 4250	37.80
योग : पूँजी लेखा	37.80
योग : अनुपूरक	68.23

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना हेतु केन्द्रांश की व्यवस्था हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 30.43 लाख तथा पूंजीगत पक्ष में रुपये 37.80 लाख अर्थात कुल धनराशि रुपये 6823000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 078

सचिवालय प्रशासन विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	144964.92	1200.20	146165.12
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	15000.00	...	15000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	159964.92	1200.20	161165.12
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2013 - मन्त्रि परिषद्

105 - मन्त्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान

03 - मुख्य मन्त्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान

42 - अन्य व्यय

15000.00

योग : 03

15000.00

योग : 105

15000.00

योग : 2013

15000.00

योग : राजस्व लेखा

15000.00

योग : अनुपूरक

15000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. मुख्यमन्त्री विवेकाधीन अनुदान हेतु रुपये 1500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा
वर्ग कल्याण)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-21 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	304532.97	11604.23	316137.20
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	41626.66	600.00	42226.66
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	346159.63	12204.23	358363.86
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण

800 - अन्य व्यय

04 - पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

7500.00

योग : 04

7500.00

योग : 800

7500.00

योग : 03

7500.00

योग : 2225

7500.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

07 - नेत्रहीन, मूक, बधिर तथा शारीरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण-पोषण हेतु अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

33393.48

योग : 07

33393.48

11 - मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित विकलांगजन के लिए आश्रय गृह सह-प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता

	धनराशि
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	467.22
योग : 11	467.22
32 - कुष्ठवस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	265.96
योग : 32	265.96
योग : 101	34126.66
योग : 02	34126.66
योग : 2235	34126.66
योग : राजस्व लेखा	41626.66
पूँजी लेखा-----	
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	
02 - समाज कल्याण	
101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0101 - विकलांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु "सिपडा-1995" का कार्यान्वयन (के..100/रा.-0-के.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	200.00
योग : 0101	200.00
योग : 01	200.00
08 - शासकीय एवं जनपयोगी भवनों में दिव्यागजन हेतु बाधा रहित वातावरण का सृजन	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	200.00
योग : 08	200.00
17 - समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में स्टाफ हेतु आवास का निर्माण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	200.00
योग : 17	200.00
योग : 101	600.00
योग : 02	600.00
योग : 4235	600.00
योग : पूँजी लेखा	600.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता हेतु रुपये 750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. नेत्रहीन, मूक बधिर तथा शारिरिक रूप से दिव्यांगों को उनके भरण-पोषण के लिये दिव्यांग पेंशन रुपये 3339348000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रदेश के 10 जनपदों में स्थापित हॉफ वे होम / लॉग स्टे होम के संचालन हेतु रुपये 46722000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. कुष्ठवस्था दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (कुष्ठवस्था पेंशन) हेतु रुपये 26596000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. दिव्यांगजन हेतु बाधारहित वातावरण का सृजन 'सिपडा' योजनान्तर्गत 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. सुगम्य भारत अभियान फेज-2 के अन्तर्गत लखनऊ में चिन्हित 68 भवनों को दिव्यांगजन के लिए सुगम्य बनाये जाने के लिए रेलिंग, रैम्प, बाधा रहित शौचालय एवं लिफ्टों आदि के निर्माण हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों में स्टाफ आवास के निर्माण हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-40 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	162197.82	48733.50	210931.32
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	13903.28	3612.24	17515.52
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	176101.10	52345.74	228446.84
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

796 - जनजातीय उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - समग्र शिक्षा अभियान (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

4544.39

योग : 0103

4544.39

0110 - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

109.50

योग : 0110

109.50

योग : 01

4653.89

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8903 - समग्र शिक्षा अभियान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

3029.60

योग : 8903

3029.60

8910 - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

	धनराशि
	73.00
योग : 8910	73.00
योग : 89	3102.60
योग : 796	7756.49
योग : 01	7756.49
योग : 2202	7756.49

2211 - परिवार कल्याण

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोग

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन

42 - अन्य व्यय

2304.79

योग : 8901

2304.79

योग : 89

2304.79

योग : 796

2304.79

योग : 2211

2304.79

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0102 - आई.सी.डी.एस.-सामान्य (60/र.40-के.)

61 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. में अन्तरण

715.00

योग : 0102

715.00

0125 - अनुपूरक पृष्ठ टाहार (के.50/र.50-के.)

42 - अन्य व्यय

1325.00

योग : 0125

1325.00

योग : 01

2040.00

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

	धनराशि
8902 - आई.सी.डी.एस.-सामान्य	
61 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. में अन्तरण	477.00
योग : 8902	477.00
8925 - अनुपूरक पुष्टाहार	
42 - अन्य व्यय	1325.00
योग : 8925	1325.00
योग : 89	1802.00
योग : 796	3842.00
योग : 02	3842.00
योग : 2235	3842.00
योग : राजस्व लेखा	13903.28

पूँजी लेखा-----

4211 - परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोगना

03 - प्रधानमंत्रीआयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM)

0302 - चिकित्सालयों का सुदृीकरण (के.60/रा.40 के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 427.16

योग : 0302 427.16

योग : 03 427.16

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8903 - प्रधानमंत्रीआयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत चिकित्सालयों का सुदृीकरण

24 - वृहत् निर्माण कार्य 284.78

योग : 8903 284.78

योग : 89 284.78

योग : 796 711.94

योग : 4211 711.94

4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय

03 - ग्रामीण आवास

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

02 - मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	धनराशि
	2900.30
योग : 02	2900.30
योग : 796	2900.30
योग : 03	2900.30
योग : 4216	2900.30
योग : पूँजी लेखा	3612.24
योग : अनुपूरक	17515.52

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. समग्र शिक्षा अभियान हेतु केन्द्रांश की धनराशि रुपये 4544.39 लाख एवं राज्यांश रुपये 3029.60 लाख अर्थात् कुल धनराशि रुपये 757399000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश की धनराशि रुपये 109.50 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रुपये 73.00 लाख अर्थात् कुल रुपये 18250000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु रुपये 230479000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. आई.सी.डी.एस.-सामान्य योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि रुपये 715.00 लाख तथा राज्यांश की धनराशि रुपये 477.00 लाख अर्थात् कुल धनराशि रुपये 119200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. अनुपूरक पुष्पाहार योजनान्तर्गत रुपये 265000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत चिकित्सालयों का सुदृढीकरण हेतु केन्द्रांश की धनराशि रुपये 427.16 लाख तथा राज्यांश की धनराशि रुपये 284.78 लाख अर्थात् कुल धनराशि रुपये 71194000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु रुपये 290030000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष

घटक योजना)

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-82 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1789120.23	1027197.87	2816318.10
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	99512.65	137780.13	237292.78
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1888632.88	1164978.00	3053610.88
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0104 - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (के.60/रा.40-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

204.30

योग : 0104

204.30

योग : 01

204.30

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8904 - नव भारत साक्षरता कार्यक्रम

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

136.20

योग : 8904

136.20

योग : 89

136.20

योग : 789

340.50

योग : 01

340.50

	धनराशि
योग : 2202	340.50

2211 - परिवार कल्याण

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन

42 - अन्य व्यय 22448.15

योग : 8901 22448.15

योग : 89 22448.15

योग : 789 22448.15

योग : 2211 22448.15

2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास

03 - प्रशिक्षण

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0103 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई 0 टी0 आई 0 के रूप में उच्चिकरण (के.70-रा.30 के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 130.00

योग : 0103 130.00

योग : 01 130.00

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8903 - राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई 0 टी0 आई 0 के रूप में उच्चिकरण

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 56.00

योग : 8903 56.00

योग : 89 56.00

योग : 789 186.00

योग : 03 186.00

योग : 2230 186.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

		धनराशि
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ		
0102 - आई.सी.डी.एस.-सामान्य (के.60/र.40-के.)		
61 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. में अन्तरण		24761.00
योग : 0102		24761.00
योग : 01		24761.00
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश		
8901 - पुष्पाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार		
42 - अन्य व्यय		35270.00
योग : 8901		35270.00
8902 - आई.सी.डी.एस.-सामान्य		
61 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. में अन्तरण		16507.00
योग : 8902		16507.00
योग : 89		51777.00
योग : 789		76538.00
योग : 02		76538.00
योग : 2235		76538.00
योग : राजस्व लेखा		99512.65

पूँजी लेखा-----

4211 - परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

02 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

0201 - चिकित्सालयों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

7158.53

योग : 0201

7158.53

योग : 02

7158.53

03 - प्रधानमंत्रीआयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन (PM-ABHIM)

	धनराशि
0302 - चिकित्सालयों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40 के.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	31398.51
योग : 0302	31398.51
योग : 03	31398.51
89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश	
8901 - चिकित्सालयों का सुदृढीकरण	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	4772.36
योग : 8901	4772.36
8903 - प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत चिकित्सालयों का सुदृढीकरण	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	20932.34
योग : 8903	20932.34
योग : 89	25704.70
योग : 789	64261.74
योग : 4211	64261.74
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय	
03 - ग्रामीण आवास	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
06 - मुख्य मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	11923.70
योग : 06	11923.70
योग : 789	11923.70
योग : 03	11923.70
योग : 4216	11923.70
4225 - अनुसूचित जातियों , अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0110 - प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई.) (के.100/रा.0-के.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	40384.69

	धनराशि
योग : 0110	40384.69
योग : 01	40384.69
योग : 789	40384.69
योग : 01	40384.69
योग : 4225	40384.69

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

13 - राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	21210.00
योग : 13	21210.00
योग : 789	21210.00
योग : 04	21210.00
योग : 5054	21210.00
योग : पूंजी लेखा	137780.13
योग : अनुपूरक	237292.78

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हेतु केन्द्रांश की धनराशि रुपये 204.30 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रुपये 136.20 लाख अर्थात् कुल रुपये 34050000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रुपये 2244815000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उच्चीकरण हेतु केन्द्रांश की धनराशि रुपये 130.20 लाख एवं राज्यांश की धनराशि रुपये 55.80 लाख अर्थात् कुल रुपये 18600000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. आई.सी.डी.एस.-सामान्य योजनान्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि रुपये 24760.80 लाख तथा राज्यांश की धनराशि रुपये 16507.20 लाख अर्थात् कुल धनराशि रुपये 4126800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. पुष्पाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार हेतु राज्यांश की धनराशि रुपये 3527000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिकित्सालयों के सुदृढीकरण हेतु केन्द्रांश की धनराशि रुपये 7158.53 लाख तथा राज्यांश की धनराशि रुपये 4772.36 लाख अर्थात् कुल धनराशि रुपये 1193089000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत चिकित्सालयों का सुदृढीकरण हेतु केन्द्रांश की धनराशि रुपये 31398.51 लाख तथा राज्यांश की धनराशि रुपये 20932.34 लाख अर्थात् कुल धनराशि रुपये 5233085000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु रुपये 1192370000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

9. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी.एम.ए.जी.वाई) हेतु रूपये 4038469000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. राज्य / प्रमुख / अन्य जिला मार्गों के कार्यों हेतु व्यवस्था हेतु रूपये 2121000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 084

सामान्य प्रशासन विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	2969.93	58841.74	61811.67
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1610.00	1610.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2969.93	60451.74	63421.67
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

09 - जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल का निर्माण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

10.00

योग : 09

10.00

10 - जनपद मीरजापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र, माँ विन्ध्यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किया जाना

24 - बृहत् निर्माण कार्य

1000.00

60 - भूमि क्रय

100.00

योग : 10

1100.00

11 - जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना

24 - बृहत् निर्माण कार्य

500.00

योग : 11

500.00

योग : 800

1610.00

योग : 4250

1610.00

योग : पूँजी लेखा

1610.00

योग : अनुपूरक

1610.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जनपद प्रयागराज में भजन संध्या स्थल के निर्माण हेतु रूपये 1000000 की आवश्यकता ।
2. जनपद मिर्जापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र, माँ विन् ६ यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों के निर्माण कार्य हेतु रूपये 100000000 की आवश्यकता ।
3. जनपद मिर्जापुर में त्रिकोणीय क्षेत्र, माँ विन् ६ यवासिनी मंदिर, माँ अष्टभुजा मंदिर, माँ काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा स्थलों को विकसित किये जाने हेतु रूपये 10000000 की आवश्यकता ।
4. जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु रूपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 086

सूचना विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	72001.36	2101.00	74102.36
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	80420.56	...	80420.56
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	152421.92	2101.00	154522.92
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2220 - सूचना तथा प्रचार

60 - अन्य

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अधिष्ठान व्यय

08 - कार्यालय व्यय	19.65
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	11.21
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	32.75
22 - आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	786.00
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	1.31
29 - अनुरक्षण	13.10
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	26.20
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	19.65
49 - चिकित्सा व्यय	19.65

योग : 03 929.52

योग : 001 929.52

101 - विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार

05 - अधिष्ठान

19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय 65500.00

102 - सूचना केन्द्र

03 - सूचना केन्द्र का अधिष्ठान

42 - अन्य व्यय

	धनराशि
योग : 05	65500.00
योग : 101	65500.00

655.00

योग : 03

655.00

योग : 102

655.00

110 - प्रकाशन

03 - अधिष्ठान

18 - प्रकाशन

	13336.04
योग : 03	13336.04
योग : 110	13336.04
योग : 60	80420.56
योग : 2220	80420.56

योग : राजस्व लेखा

80420.56

योग : अनुपूरक

80420.56

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. "सूचना तथा प्रचार " के अन्तर्गत विभिन्न मानक मर्दों हेतु रुपये 8042056000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 1-15 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	9927.58	22679.65	32607.23
	भारित	0.05	...	0.05
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	647.65	500.00	1147.65
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	10575.23	23179.65	33754.88
	भारित	0.05	...	0.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2205 - कला एवं संस्कृति

101 - ललित कला शिक्षा

21 - भातखण्डे संगीत संस्थान को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

57.65

योग : 21

57.65

योग : 101

57.65

107 - संग्रहालय

03 - अधिष्ठान व्यय

02 - मजदूरी

50.00

49 - चिकित्सा व्यय

40.00

योग : 03

90.00

योग : 107

90.00

800 - अन्य व्यय

12 - आजादी का अमृत महोत्सव

42 - अन्य व्यय

500.00

योग : 12

500.00

योग : 800

500.00

योग : 2205

647.65

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	647.65
<hr/>	
पूँजी लेखा-----	
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	
04 - कला तथा संस्कृति	
800 - अन्य व्यय	
13 - जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 13	500.00
योग : 800	500.00
योग : 04	500.00
योग : 4202	500.00
योग : पूँजी लेखा	500.00
योग : अनुपूरक	1147.65

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भातखण्डे संगीत संस्थान को अनुदान हेतु रुपये 5765000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश संग्रहालय, निदेशालय व अधिनस्थ संग्रहालयों में दैनिक श्रमिकों तथा नियत वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के वेतन आदि के लिये रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश संग्रहालय, निदेशालय व अधिनस्थ संग्रहालयों के कर्मियों व उनके परिवार के चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधी बिलों के भुगतान हेतु रुपये 4000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. आजादी का अमृत महोत्सव के आयोजन हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।
5. जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 093

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग

[वर्ष 2022-2023 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 10)के पृष्ठ संख्या 1-11 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	133179.32	1555380.77	1688560.09
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	2380.39	2380.39
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	133179.32	1557761.16	1690940.48
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4702 - लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

800 - अन्य व्यय

07 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

0701 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत हर खेत को पानी (के.60/रा.40-के.)

42 - अन्य व्यय

1191.47

योग : 0701

1191.47

योग : 07

1191.47

89 - केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का संगत राज्यांश

8901 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत हर खेत को पानी

42 - अन्य व्यय

1188.92

योग : 8901

1188.92

योग : 89

1188.92

योग : 800

2380.39

योग : 4702

2380.39

योग : पूँजी लेखा

2380.39

योग : अनुपूरक

धनराशि

2380.39

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत हर खेत को पानी हेतु केन्द्रांश की धनराशि रूपये 1191.47 लाख तथा राज्यांश की धनराशि रूपये 1188.92 लाख अर्थात् कुल धनराशि रूपये 238039000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।